



कृषि विज्ञान केन्द्र, अरनियां सीकर
(निदेशालय विस्तार शिक्षा)
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
अरनियां सीकर (राजस्थान),



कं/वरि. वै. एवं अध्यक्ष/के.वी.के./निविदा/2026/41

दिनांक: 18.05.2026

खुली निविदा प्रपत्र

खुली निविदा सूचना क्रमांक/वरि. वै. एवं अध्यक्ष/के.वी.के./निविदा/2026/41		दिनांक : 18.05.2026
1. कार्य का नाम व क्रमांक	अस्थायी श्रमिकों की आपूर्ति कार्य	
2. कार्य की अनुमानित अवधि	वित्तीय वर्ष 2026-27	
3. निविदा फार्म का मूल्य	500/- रुपये बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक/नगद	
4. निविदा लागत (राशि)	अनुमानित लागत 4.90 लाख रु.	
5. धरोहर राशि	अनुमानित लागत राशि का 5 प्रतिशत	
6. कार्य की अनुमानित मात्रा	कृषि एवं सम्बन्धित कार्य, खेतों एवं फसल, बागवानी, रात्रि चौकीदार, सफाई कर्मी, मुर्गी, बकरी पालन एवं डेयरी आदि कार्य हेतु अस्थायी श्रमिकों की आपूर्ति	
7. प्रपत्र क्रय करने की दिनांक व समय	19.05.2026 से 29.05.2026 तक	
8. प्रपत्र जमा कराने की दिनांक व समय	29.05.2026 को प्रातः 11.00 बजे तक	
9. निविदा खोलने की दिनांक व समय	29.05.2026 को दोपहर 12.30 बजे	
10. पत्राचार हेतु पता-वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, अरनियां, सीकर	मोबाईल नं०- 9785109571 Email:- pc.kvk.arnia@sknau.ac.in	

निविदा की शर्त:-


1	निविदादाता को कुल निविदा लागत की 5% राशि धरोहर के रूप में जमा करानी होगी। जिसमें निविदा प्रस्तुत करते समय 2% राशि बिड सिक्योरिटी के रूप में जमा करानी होगी व शेष 3% धरोहर राशि कार्यादेश मिलने के पश्चात 7 दिवस में जमा करवानी होगी। जो कि डी.डी./UPI/Cash के माध्यम से "Senior Scientist and Head, Krishi Vigyan Kendra, Arnia" के पक्ष में देय होगी।
2	प्रस्तावित निविदा सीलबन्द लिफाफे में जिस पर "अस्थायी श्रमिकों की आपूर्ति कार्य" लिखा हो को वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केन्द्र, अरनियां सीकर को प्रेषित होनी चाहिए।
3	प्रस्तावित अस्थायी श्रमिकों की आपूर्ति कार्य प्रतिदिन के हिसाब से स्पष्ट रूप लिखकर देनी होगी। किसी भी प्रकार की कांट छांट होने पर निविदा स्वीकार नहीं होगी।
4	श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की कार्यालयिन कार्य/शस्य क्रियायें आदि सम्बंधित वैज्ञानिक या फार्म मैनेजर व प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार करनी होगी तथा सारा श्रमिक व्यय एवं लगने वाले लघु औजारों की व्यवस्था निविदादाता को ही वहन करनी होगी। जिनका कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
5	फार्म पर ऑफिस/कृषि कार्यों के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने, सांप काटने, बिजली से व अन्य किसी उपकरणों से या लापरवाही से दुर्घटना होने पर प्रभारी अधिकारी व केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता ठेकेदार/फर्म की होगी।
6	श्रमिकों का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर श्रमिकों को बदलने व निविदा को निरस्त करने का अधिकार प्रभारी अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा जो कि कॉन्ट्रेक्टर (निविदादाता) को मान्य होगा।
7	श्रमिकों को आवश्यकता होने पर आवास की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी। कार्यालय द्वारा कोई सुविधा देय नहीं होगी।

Senior Scientist And Head
Krishi Vigyan Kendra, Arnia
Sikar-II, Rajasthan

8.	प्रथम वरियता प्राप्त पार्टी द्वारा कार्य नहीं संभालने पर ठेका निरस्त करके अगली वरीयता पार्टी को कार्य का आदेश प्रभारी अधिकारी दे सकेंगे। अनुबंध की अवधि आदेश की तारीख से एक साल तक के लिए मान्य होगी। अनुबंध की अवधि कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति में अगले आवश्यकतानुसार अथवा एक साल के लिए और बढ़ाई जा सकती है।
9.	निविदादाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी तथा निविदादाता या उसके मजदूर केन्द्र / फार्म पर मदिरा एवं अन्य किसी भी नशीले पदार्थों का उपयोग नहीं करेगा और न ही किसी मजदूर को उपयोग करने देगा।
10.	कार्यालय की सुरक्षा तथा फार्म क्षेत्र में लगे सभी उपकरण व सामान जिसमें नसरी, प्रदर्शन ईकाईयां नैट हाउस, ट्यूबवैल व फील्ड में लगे चारों तरफ के पेड़ों एवं बाउन्ड्री की चौकीदारी एवं सुरक्षा भी करनी होगी।
11.	श्रमिकों को लाने, ले जाने, पानी लाने व अन्य श्रमिक क्षति होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
12.	श्रमिकों को बीमार होने, दुर्घटना होने या अन्य श्रमिकों को क्षति होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी तथा कार्यालय किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं करेगा।
13.	श्रमिकों को सभी कार्य समय पर प्रभारी अधिकारी, फार्म प्रभारी / प्रबन्धक की मॉग के अनुसार करने होंगे यदि कोई श्रमिक कार्य समय पर नहीं करता है या प्रभारी अधिकारी कार्य से संतुष्ट नहीं हुए तो उस स्थिति में कार्यालय द्वारा श्रमिक को अनुपस्थित करार दिया जायेगा व मजदूरी भुगतान नहीं किया जावेगा।
14.	श्रमिकों को मजदूरी भुगतान ठेकेदार द्वारा प्रतिमाह समय पर अग्रिम करना होगा तथा मजदूरी भुगतान के उपरान्त कार्यालय में बिल प्रस्तुत करना होगा जिसका भुगतान नियमानुसार किया जावेगा।
15.	रात्रि चौकीदारी को छोड़कर शेष अन्य श्रमिकों के कार्य का समय सुबह 8 बजे से सांय 6 बजे तक या कार्यालय के नियमानुसार किया जावेगा।
16.	आकस्मिक दुर्घटना की दशा / लापरवाही से कार्य करने या कराने की स्थिति में सभी जिम्मेदारियाँ ठेकेदार / श्रमिक की होगी।
17.	किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के आर्बीटेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
18.	दर्शित कार्य ठेकेदार को कार्यालय के निर्देशानुसार पूर्ण कराने है असफलता की स्थिति में ठेकेदार की जमा सुरक्षा राशि जब्त करते हुए संस्था द्वारा यह कार्य आपकी रिस्क व कोस्ट पर अन्य माध्यम से करा लिया जायेगा। अधिक भुगतान होने की स्थिति में यह राशि आपसे वसूलनीय होगी।
19.	सफल निविदादाता को 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर समस्त शर्तों के तहत कार्य करने व ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी ऐसा लिखकर दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
20.	किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
21.	समस्त निविदादाता अपने मूल पते सहित फोटो पहचान पत्र, पैन कार्ड एवं विधिमान्य श्रमिक आपूर्तिकर्ता के रूप में पंजीकरण होना आवश्यक है जिनकी सत्यापित छायाप्रतियां निविदा के साथ संलग्न करें।
22.	अन्तिम भुगतान हेतु ठेकेदारों को सभी श्रमिकों का कार्य का भुगतान कर देने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
23.	यह ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा तथा जिसके नाम ठेका है कार्य उसी व्यक्ति को करना होगा।
24.	उक्त वर्णित शर्तों के अनुरूप कार्य नहीं करने पर ठेकेदार को तत्सम्बन्धित होने वाले भुगतान में से शास्ति के रूप में कटौतियाँ की जा सकेंगी। इस संबंध में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र अरनियां, सीकर का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
25.	ठेकेदार के बिल से नियमानुसार आयकर / टीडीएस कटौती की जायेगी। जिसके लिए पैन कार्ड की स्वसत्यापित प्रतिलिपि एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी श्रमिकों की आपूर्ति हेतु वैद्य लाईसेन्स की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
26.	ठेकेदार / फर्म द्वारा नियोजित श्रमिकों को ई.एस.आई एवं पी.एफ. वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट प्रावधान एवं अन्य टैक्स यथा जीएसटी आदि देय होने पर समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार / फर्म का होगा। ई.एस.आई. एवं पी.एफ. श्रमिकों के नाम से उनके खातों में जमा कराना होगा जिसका निरीक्षक द्वारा चाहे गये अनुसार समय-समय पर रिकार्ड जॉच हेतु प्रस्तुत करना होगा।
27.	सर्विस टैक्स / जीएसटी / आयकर हेतु संबंधित विभाग में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। तथा सर्विस टैक्स / जीएसटी / आयकर / टीडीएस कटौती मान्य दरों से विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार संस्था द्वारा ठेकेदार / फर्म के बिलों के भुगतान में से नियमानुसार काट ली जावेगी।
28.	बिल का भुगतान कोषालय द्वारा बिल पास होने पर किया जावेगा। अग्रिम के रूप में कुछ भी दिया नहीं जावेगा।
29.	श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी भुगतान राजस्थान सरकार के द्वारा निर्धारित प्रतिदिन / प्रतिमाह न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप करना होगा तथा मजदूरी भुगतान के उपरान्त कार्यालय में बिल प्रस्तुत करना होगा जिसके साथ नियोजित श्रमिकों को

Karveer

	ई.एस.आई एवं पी.एफ के भुगतान एवं खाते में मजदूरी की राशि का स्थानान्तरण का बैंक विवरण सलग्न कर प्रस्तुत करना होगा जिसकी जांच के उपरान्त सही पाये जाने पर भुगतान नियमानुसार किया जावेगा।
30.	कार्य की मात्रा/लागत सिर्फ अनुमानित है इसे आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है जिसमें निविदादाता को किसी प्रकार विवरण नहीं दिया जावेगा तथा कार्यालय की भांती के अनुरूप कार्य करना होगा।
31.	निविदादाताओं द्वारा धरोहर राशि के एवज में अनुमानित लागत राशि का 5 प्रतिशत जमा करवाना होगा।
32.	<p>➤ सीलबन्द एक लिफाफे तकनिकी रूप से सभित करने हेतु निम्नांकित सलग्न दस्तावेज आवश्यक रूप से रखे जावें। इसके अभाव में निविदा को भागित नहीं किया जावेगा। जिसके उपर बाहर तकनिकी दस्तावेज लिखा जावे।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निविदादाता/फर्म का श्रम विभाग से पंजीकरण संख्या एवं प्रमाण पत्र की फोटोप्रति 2. सर्विस टैक्स/ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर/पैन कार्ड की फोटोप्रति 3. Employee Provident Fund certificate 4. Employee State Insurance Certificate 5. निविदा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर सहित। 6. बिड सिक्यूरिटी 2 प्रतिशत तथा कार्यादेश के पश्चात 3 प्रतिशत 7. अन्य आवश्यक दस्तावेज यदि हो। <p>➤ सीलबन्द दूसरे लिफाफे में वित्तीय रूप से सभित करने हेतु निविदादाता द्वारा भरी गई दर का प्रपत्र परिशिष्ट सं० 1 अ व य एवं अलग से रखा जावे। जिसके ऊपर बाहर वित्तीय दरें लिखा जावे।</p> <p>➤ दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में बन्द कर कार्यालय में प्रस्तुत किया जावें</p>
33.	निविदा भरने से पूर्व समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़े व प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करें। सेवा प्रदाता को सर्विस टैक्स/सेवा प्रदाता का चार्ज के अतिरिक्त अन्य कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। अन्य सभी भुगतान श्रमिकों के पक्ष में राजस्थान सरकार के श्रम विभाग एवं वित्त विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाना आवश्यक है। तथा सभी सम्बन्धित दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
34.	मैंने उपरोक्त सभी शर्तों को पढ़ लिया है एवं समझ लिया है एवं मैं उपरोक्त शर्तों के अनुसार अस्थाई श्रमिकों की आपूर्ति करने हेतु सहमत हूँ।


 वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
 Krishi Vigyan Kendra, Arnia
 Sikar-II, Rajasthan

मैं उक्त शर्तों के अधीन रहते हुए कृषि एवं सम्बन्धित कार्य हेतु अस्थाई श्रमिकों की आपूर्ति व्यवस्था हेतु अपनी दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिसके लिए मैं पूर्ण रूप से बाध्य रहूँगा। इस हेतु मैं सहमति देता हूँ। सभी सम्बन्धित दस्तावेज, आयकर विवरणी, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन, PAN, GST नम्बर, बिड सिक्यूरिटी के सम्बन्ध में घोषणा पत्र (Declaration) सर्टिफिकेट सलग्न है।

हस्ताक्षर ठेकेदार

निविदादाता द्वारा अस्थाई श्रमिकों की आपूर्ति कार्य हेतु दरों का विवरण
वर्ष 2026-27

क्र० सं०	कार्य विवरण	न्यूनतम मजदूरी दर प्रतिदिन रु. प्रतिदिन प्रति श्रमिक	निविदादाता द्वारा प्रस्तावित दर
1.	अकुशल श्रमिक श्रेणी	285 / -	
2.	अर्द्धकुशल श्रमिक श्रेणी	297 / -	
3.	कुशल श्रमिक श्रेणी	309 / -	
4.	ई.एस.आई दर प्रतिशत	3.25 प्रतिशत	
5.	पी.एफ. दर प्रतिशत	13.00 प्रतिशत	
6.	जीएसटी दर प्रतिशत, यदि लागू हो	नियमानुसार	
7.	सर्विस टैक्स / सेवा प्रदाता का चार्ज दर प्रतिशत	-	
8.	अन्य कोई चार्ज यदि हो तो	-	

(राजस्थान सरकार के द्वारा निर्धारित प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप दरे रहेगी तथा परिवर्तन होने पर परिवर्तित की जा सकेगी)

मैं निविदा की समस्त शर्तों से सहमत हूँ तथा मैं उपरोक्त शर्तों पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ।


ठेकेदार के हस्ताक्षर


मय पता

व टेलीफोन नं० सहित

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान वित्त नियन्त्रक महोदय, SKNAU, जोबनेर को भेजकर निवेदन है कि निविदा खोलने की निर्धारित तिथि दिनांक 11.05.2026 को अपने कार्यालय से नामित सदस्य भेजने की कृपा करावें।
2. श्रीमान निदेशक महोदय, DEE, SKNAU, जोबनेर को भेजकर निवेदन है कि निविदा खोलने की निर्धारित तिथि दिनांक 11.05.2026 को अपने कार्यालय से नामित सदस्य भेजने की कृपा करावें।


वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
Senior Scientist And Head
Krishi Vigyan Kendra, Arnia
Sikar-II, Rajasthan


वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
Senior Scientist And Head
Krishi Vigyan Kendra, Arnia
Sikar-II, Rajasthan

स्वघोषणा पत्र

मैसर्स श्री के प्रोपराईटर के रूप में शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि भोजन व चाय नाश्ते की व्यवस्था हेतु मैने केवीके अरनियां की निविदा भरी है मुझे/हमे आज दिनांकतक किसी भी विभाग/संस्था द्वारा काली सूचीबद्ध नही किया गया है उक्त तथ्य मेरी जानकारी मे पूर्णतया सत्य है यदि यह किसी भी स्तर पर असत्य पाया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी मै नियमानुसार कार्यवाही के लिए बाध्य रहूँगा।

Karwani

Senior Scientist (Food) and
Krishi Vigyan Kendra, Arnia
Sikar-II, Rajasthan